PWD2-CW/R/76/2023-III-2-Public Works Department

144589/2023

ई0 फाईल संख्या56312-

प्रेषक,

शयाम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

लोक निर्माण अनुभाग-2- देहरादून: दिनांक 07 अगस्त,2023

विषयः राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोडा के विभिन्न ०३ निर्माण कार्यो की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक- 2698/535याता0-अ0/2023, दिनांक 20.05.2023, 2697/101याता0 -अ0/2023, दिनांक 24.05.2023 व 2766/535 याता0-अ0/2022, दिनांक 27.05.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सन्दर्भित पत्रों द्वारा विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन का शासन स्तर पर परीक्षणोपरान्त पायी गयी निम्नलिखित कमियों का निराकरण कर आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें:-

क्रं.सं.	कार्य का नाम	परीक्षणोंपरान्त इंगित कमियां
1.	**मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या- 771/2021** के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में एन0एच0 109 के किमी0 73 से विकास भवन होते हुए न्यू कलेक्ट्रेट अल्मोड़ा एवं मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा तक मोटर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य। **(विस्तृत आगणन)**	1. प्रथम चरण हेतु स्वीकृत धनराशि का खर्चा मात्र0.10 लाख अंकित है, औचित्य स्पष्ट किया जाये। 2. क्रॉस सेक्शन एवं Plan में विभिन्न चेनेजों में भिन्नता प्रतीत होती है औचित्य स्पष्ट किया जाये। 3. दीवारों की Height क्रॉस सेक्शन अंकित नहीं है। 4. मार्ग का डिजाईन Falling Weight Deflectometer द्वारा किया गया है परंतु डिजाईन अधीक्षण अभियंता द्वारा अनुमोदित नहीं है। 5. आगणन में तुलनात्मक विवरण संलग्न नहीं है। तुलनात्मक विवरण में मानक दर के आधार पर मदवार धनराशि की अधिकता होने की दशा में अधीक्षण अभियन्ता की निरीक्षण आख्या संलग्न की जाये। 6. मार्ग में डामरीकरण हेतु बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 लिया गया है परंतु ट्रैफिक गणना संलग्न नहीं की गई है। मार्ग नीति के अनुसार जिन मार्गो पर CVPD 400 से अधिक है, उन पर ही बी0एम0/एस0डी0बी0सी0 द्वारा कार्यकराया जा सकता है। 7. पूर्व निर्मित क्रस्ट के बारे में अंकित नहीं किया गया है।
2.	**मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या777/2021** - के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में	1. आगणन में मानक दरों के आधार पर दीवार निर्माण मद में₹ 18.16 लाख की अधिकता है, किन्तु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 495/10अधिप्रामि प्रकीर्ण वर्ग-उ0/21, दिनांक 11.06.2021 के निर्देशानुसार अधीक्षण अभियन्ता की निरीक्षण आख्या संलग्न नहीं की गई है।

144589/2023

	बेतालेश्वरस्यालीधार-मोटर मार्ग का डामरीकरण व सुधारीकरण का कार्य। (विस्तृत आगणन(	2. आगणन में बिटुमिन से PC एवं Tack Coat प्रस्तावित किया गया है परन्तु शासनादेश संख्या-1191/111 (2)2023-02(सा0) /2023 दिनांक 03 अप्रैल, 2023 द्वारा **''पुनर्निर्माण के ऐसे कार्य, जिसमें सतह लेपन पी0सी0 द्वारा किया जाना है, भविष्य में स्वीकृत होने वाले कार्यों में पी0सी0 कार्य Cold Mix Technology से किया जाये।''** का अनुपालन नहीं किया गया है। 3. सहायक अभियंता द्वारा क्रॉस सेक्शन शत प्रतिशत चेक नहीं किया गया है।
3.	**मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-769/2021** के अन्तर्गत जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा के अन्तर्गत जनपद व विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में गैस गोदाम लिंक मार्ग में क्रैश बैरियर, सुरक्षात्मक दीवारें एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा सतह सुधार का कार्य। (विस्तृत आगणन)	1. आगणन में दीवारों की ड्राइंग एवं मार्ग का प्लान संलग्न नहीं किया गया है। 2. पूर्ण लम्बाई में क्रैश बैरियर लेने का औचित्य स्पष्ट किया जाये। 3. रोड डेलीनेटर का प्राविधान IRC के मानकों के अनुसार लिया जाये।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 07-08-2023 18:17:37

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. - प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. - अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3. - अधिशासी अभियन्ता, प्रा0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।

(श्याम सिंह)
संयुक्त सचिव

Phone/ Fax:- 0135-2531154/2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन–।" उत्तराखण्ड देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Web-http://govt.ua.nic.in/pwd **E-mail: eicpwduk@nic.in**

पत्रांक– 937 /20 याता0'क'/2023 दिनांक– 19 .08.2023

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
2. अधीक्षण अभियन्ता प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय ''वैबसाईट'' पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं
लोक निर्माण विभाग, उ0
देहरादून